यूपी के पांच गांव अब बदलेंगे पूरे देश की तस्वीर!

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पांच गांवों के जरिए देश के सामने एक नजीर रखी जाने वाली है। ये पिछड़े और सुदूर इलाकों के गांव सूचना को अपना हथियार बना कर न सिर्फ अपनी तस्वीर बदलेंगे बल्कि पूरे देश के सामने भी उदाहरण रखेंगे। सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले जनसंगठनों का दावा है कि एक साल के अंदर ही इन गांवों में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार की जगह विकास ले लेगा। इस आंदोलन से जुड़े लोगों की रणनीति होगी कि आरटीआई कानून के इस्तेमाल से इन पांच गांवों की काया पलट कर इन्हें पूरे मॉडल के तौर पर रखा जा सके।

भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कवायद शुरू
आरटीआई बना हथियार

इस योजना में लक्ष्य रखा गया है कि इन पांच गांवों में खर्च होने वाली सरकारी रकम का एक भी पैसा बिना जनता की जांच के न रह पाए। यानी आम लोग भी हर सरकारी काम की जांच करने का अपना हक जान सकेंगे। अगली बार जब उनके इलाके में कोई सड़क बने तो उसकी जांच के लिए सिर्फ वे सरकारी अफसर ही मौजूद नहीं रहें जिनका भ्रष्टाचार में एक तय हिस्सा होता है, बल्कि वे गांव वाले भी उसकी जांच करें, जिनकी जिंदगी पर उस सड़क के बनने या नहीं बनने से असर पड़ने वाला है। ऐसा वे सूचना का अधिकार कानून के तहत एक आवेदन के जरिए कर सकते हैं। वे आवेदन कर अपने क्षेत्र में बनी सड़कों की लंबाई, जगह, उन पर आए खर्च और निर्माण में उपयोग की गई सामग्री आदि के बारे में पूरा ब्योरा मांग सकते हैं। साथ ही आवेदक सड़क बनाए जाने के दौरान या बन जाने के बाद साइट इंस्पेक्शन की मांग भी कर सकता है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश में बहराइच के दो और बांदा, चित्रकूट व फैजाबाद के एक-एक गांव लिए जा रहे हैं। (ब्यूरो)

वनवासियों के हाथ लगा सूचना का हथियार

दिल्ली की संस्थाओं ने देहात संस्था के संयोजन में लगाया शिविर

60 परिवारों को छह साल से नहीं मिला राशन, अब गाँव वालों ने माँगी राशन के स्टॉक की जानकारी

निषाद नगर (बहराइच)। सूचना के अधिकार का हथियार अब दूर-दराज बसे अशिक्षित भोले-भाले लोगों तक पहुँच चुका है। रविवार को दिल्ली की कबीर और परिवर्तन संस्थाओं के आए जनप्रतिनिधयों ने देहात संस्था के संयोजन में एक शिविर लगाया। बहराइच के बनवासी गाँव नई बस्ती के निषाद नगर में लगाए गए शिविर में लोगों ने समस्याएँ बताईं। यहाँ 60 परिवारों ने एक साथ शिकायत की कि उनके राशनकार्ड वर्ष 2000 में बन गए थे, लेकिन उनको आज तक राशन का एक भी दाना नहीं मिला है। सूचना के अधिकार के तहत इन गाँव वालों ने राशन के स्टॉक की जानकारी माँगी गई है।

सोमवार को बहराइच के ही ताज खुदाई गाँव में लगाए गए शिविर में जब लोगों को यह बताया गया कि अपनी गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स के पैसे के खर्चे को लेकर संबंधित विभाग से जवाब तलब कर सकते हैं। यह जानकारी मिलते ही जैसे लोगों को उम्मीदों के पंख लग गए। एक-एक कर 165 लोगों ने अपने-अपने मुद्दे उठाए। इन मुद्दों में राशन से लेकर बिजली-पानी और नाली-खड़ंजा जैसी समस्याएँ शामिल हैं। इन सभी लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत अपना-अपना आवेदन तैयार कराया है।

कबीर से जुड़े मनीष सिसोदिया ने लोगों को बताया कि जब गाँव के लोग नमक, माचिस, साबुन, दवा आदि खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं और इसी टैक्स से सरकार के खर्चे चलते हैं। अब क्योंकि यह पैसा भी हमारा है तो इससे वेतन लेने वाले अफसर भी हमारे नौकर हैं। इनसे इनके काम और खर्चों के बारे में सवाल पूछना हमारा अधिकार है। परिवर्तन संस्था से जुड़ी रितु मेहरा ने बताया कि सूचना के अधिकार का मतलब सरकार के बड़े-बड़े सौदों की फाइलें खुलवाना ही नहीं है, बल्कि वहाँ बैठे लोग हमारे छोटे-छोटे काम बिना रिश्वत लिए क्यों नहीं करते, हमारे बच्चों को पूरा वज़ीफा क्यों नहीं मिलता, हमारे गाँव को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, इसकी जानकारी माँगना भी है। यह जानने के बाद अब लोगों के मन में हमेशा से उठते आ रहे सवाल सूचना के अधिकार के आवेदन के रूप में सामने आ रहे हैं।

गाँव में सूचना के अधिकार के लगातार इस्तेमाल के लिए गाँव के युवकों ने युवा क्रांति संगठन नाम से एक नया समूह बनाया है। इसके संयोजक डॉ. जितेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि यह संगठन आने वाले दिनों में गाँव के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नज़र रखेगा।

दिलचस्प बात यह रही कि लोगों ने अपने रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज से जुड़े मुद्दे तो उठाए ही साथ ही गाँव के विकास, चिकित्सा, बिजली जैसे मुद्दों पर भी संबन्धित विभागों के लिए आवेदन तैयार किए हैं।

गाँव ताज खुदाई में रविवार का आयोजन सूचना के अधिकार को लेकर चलाए जा रहे विशेष मुहिम 'मेरे गाँव के सवाल' के तहत किया गया। इस मुहिम में उत्तर प्रदेश के पाँच गाँवों में ग्रामीणों को सूचना के अधिकार की विस्तृत जानकारी देकर उनके मध्य से कम से कम 300-300 आवेदन विभिन्न विभागों में डाले जाने की योजना है।

इसमें लोग अपने गाँव में विगत में हुए, वर्तमान में हो रहे तथा भविष्य में होने जा रहे खर्चे तथा योजनाओं के बारे में सवाल उठाएँगे।

बुंदेलखंड के गाँवों में लोगों का बड़ा सवाल

स्कूल क्यों नहीं आते मास्टरजी !

बाँदा। सूचना के अधिकार को गाँव-गाँव में पहुँचाने के लिए निकला कारवाँ गुरुवार को बुंदेलखंड में पहुँचा। बाँदा जिले में गाँव पंचमपुर पंचायत के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में गाँववासी बड़ी संख्या में सूचना के अधिकार की जानकारी लेने पहुँचे। यह जानकारी मिलते ही कि अब वे सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के बारे में जवाब तलब कर सकते हैं, लगभग सभी गाँवासियों की पहली शिकायत थी कि स्कूल में मास्टरजी प्रमोद दीक्षित पढ़ाने ही नहीं आते। मजबूर गाँववालों ने आपस में पैसे की व्यवस्था कर गाँव के ही एक युवक को पढ़ाने के लिए राजी किया। मास्टरजी भी इस व्यवस्था से आराम महसूस करने लगे लेकिन अब अचानक उन्होंने बीमारी के नाम पर छुट्टी लेकर स्कूल में ताला ही लगा दिया।

गाँववालों ने सूचना के अधिकार के तहत मास्टर जी की हाजिरी का रिकार्ड निकलवाने का आवेदन किया है। साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले 70 बच्चों के भविष्य की खातिर उसकी बीमारी का रिकार्ड, शैक्षिक योग्यता का रिकार्ड निकलवाने की सूचना के अधिकार की अर्जी दायर की है। साथ ही गाँव के दूसरे हिस्से में बने प्रायमरी स्कूल में मिड डे मील का अनाज न मिलने के मामले में भी खाद्य आपूर्ति विभाग के रिकार्ड देखने का आवेदन गाँव के कुछ लोगों की ओर से दाखिल किए गए हैं। इसके साथ ही गाँववालों की शिकायत थी कि पक्की सड़क से गाँव को जोड़ने वाली पाँच किलोमीटर लम्बी सड़क कच्ची है, उस पर दो जगह ऊँची-ऊँची पुलिया बनाकर रास्ता भी लगभग अवरुद्ध हो गया है। इस मामले में भी लोगों ने संपर्क मार्ग पर पिछले 10 साल में किए गए मरम्मत कार्यों और उनके खर्चे आदि की जानकारी माँगी है। गाँव की करीब एक दर्जन असहाय बुजुर्ग व विधवा महिलाओं ने सूचना के अधिकार के तहत जनमानस के सामने सवाल उठाए हैं कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि व पेंशन आदि अचानक बन्द क्यों कर दी। गाँव वाले राशन न बँटे जाने के मामले में भी कुछ लोगों ने उसके रिकार्ड आदि निकलवाने की अर्जी डाली है।

अभियान के तहत गाँव में अब हर महीने सूचना के अधिकार के इस तरह के शिविर लगाकर लोगों की मदद की जाएगी। सूचना के अधिकार की जानकारी गाँव वालों को देने के लिए दिल्ली स्थित परिवर्तन व कबीर संस्थाओं के कार्यकर्ता गाँव-गाँव घूम रहे हैं और पूरे प्रदेश में पाँच गाँवों में विशेष रूप से 300-300 आवेदन प्रति गाँव दाखिल किए जाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बुंदेलखंड में उनके साथ चिंगारी संगठन के कार्यकर्ता, जो पहले भी कई मामलों में सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन की नींद खोल चुके हैं, इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।

मनीष सिसोदिया

दैनिक जागरण 11 दिसम्बर, 2006

जागरण सिटी

बहराइच

'सशक्त हथियार साबित हो रहा है सूचना का अधिकार'

बहराइच कार्यालय

बहराइच, 10 दिसम्बर। 'माचिस की एक तीली से लेकर मौत के बाद नसीब होने वाले कफन तक पर सरकार द्वारा लिये जाने वाले टैक्स के रूप में एकत्रित जनता की गाढ़ी कमाई को बेईमानी व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से रोकने के लिए अब आम जनता का खुद खड़े होना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए सूचना का अधिकार कानून एक सशक्त हथियार साबित हो रहा है।' यह बात परिवर्तन नयी दिल्ली के मनीष सिसौदिया ने कही।

समाजसेवी संगठन 'देहात' की ओर से विकास खण्ड चित्तौरा के नगर ताजखोदाई में आयोजित सूचना का अधिकार विषयक खुली पंचायत में श्री सिसौदिया ने सूचना के अधिकार से होने वाले लाभ की जानकारी ग्रामीणों को मुहैया करायी। कबीर नयी दिल्ली के रितु मेहता ने कहा कि सूचना के अधिकार के इस्तेमाल का रणक्षेत्र मात्र एक गांव या जिला ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश व देश को बनाना ही होगा क्योंकि रिश्वतखोरों व भ्रष्टों की जमात बहुत सशक्त है और जन-जन को इनके विरुद्ध उठ खड़े होने की जरूरत है। देहात समाजसेवी संगठन के मुख्य कार्यकारी व बहराइच जनपद में सूचना अधिकार अभियान चला रहे डा.जितेन्द्र चतुर्वेदी ने कहा कि जिले में सूचना अधिकार अभियान अब गति पकड़ रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं, जबकि इसे जनांदोलन बनाने का अभियान जारी है। शिविर का संयोजन करने वाले क्रांति युवा संगठन के नगर कार्यकर्ता पवन कुमार यादव ने कहा कि सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके ताजखोदाई ग्रामपंचायत को आदर्श ग्राम बना इसके अन्य के लिए प्रेरणास्रोत बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। शिविर में छोटे कार्य समूहों में पीड़ित पक्षों को विभक्त कर आवेदन पत्र लिखवाये गये जिसमें कुल 165 आवेदन पत्र आये।

सूचना का अधिकार विषयक खुली पंचायत

जर्जर : बहराइच। ऐतिहासिक दरगाह हजरत सैय्यद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह परिसर में बना कलात्मक कदम रसूल देखरेख एवं मरम्मत के अभाव में काफी जर्जर हो गया है जिसकी छत से अक्सर चप्पड़ गिरते रहते हैं पर दरगाह शरीफ प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है।

दैनिक जागरण 13 दिसम्बर, 2006

जागरण सिटी

सूचना के अधिकार के लिए लगाये गये जागरूकता शिविर में बोलते मनीष सिसौदिया, उपस्थित लोग और प्रार्थना पत्र लेते स्वयंसेवक

'सूचना के अधिकार' को आंदोलन का रूप देने में जुटी संस्थाएं

बहराइच, 12 दिसम्बर। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जनता में जागरूकता पैदा कर सामाजिक संगठन इसे जनांदोलन का रूप देने में जुट गये हैं। इस कार्य में बहराइच के साथ ही दिल्ली और लखनऊ के सामाजिक संगठन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी सप्ताह जिले के अलग-अलग विकास खण्डों में कई जागरूकता शिविर लगाकर इन सामाजिक संगठनों ने शिकायती पत्र इकट्ठा किये हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इन पत्रों को संबंधित कार्यालय में सौंपकर जनता की समस्याओं पर आवाज मुखर कर रहे हैं।

शिविर लगाकर एकत्र की शिकायतें

सूचना का अधिकार अधिनियम अब जिले की कुछ क्रियाशील सामाजिक संगठनों के लिए अभियान की विषयवस्तु बन गया है। दिल्ली की संस्था परिवर्तन और कबीर इस अभियान को जिले की अग्रणी सामाजिक संस्था देहात के साथ सामंजस्य स्थापित कर धार देने में जुटी है। इसी क्रम में मिहींपुरवा विकास खण्ड के वन ग्राम नई बस्ती व निषाद नगर में तीन दिवसीय शिविर लगाकर अलख जगायी गयी। चित्तौरा विकास खण्ड की ताजखोदाई ग्रामपंचायत में बाइस युवकों की टीम ने पूरे दिन ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर सूचना के अधिकार की जानकारी दी। आज इसी क्रम में जनता द्वारा जुटायी गयी जन शिकायतों को जिलापूर्ति अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराया गया। वन ग्राम नई बस्ती के 51 नागरिकों की ओर से राशनकार्ड और केरोसिन के मसले पर उठाये गयी आवाज को परिणाम में बदलने के लिए स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय हो गये हैं। आज मिहींपुरवा विकास खण्ड में आयोजित शिविर में सामाजिक संस्था देहात के मुख्य कार्यकारी डा.जितेन्द्र चतुर्वेदी ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपनी समस्यायें के बाद उपजे हालातों से समझौता करने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुने। उन्होंने कहा कि न्याय हर हालत में उनके दरवाजे दस्तक देगा। इस अवसर पर मनीष सिसौदिया ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को मुखर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में सीमांत महाविद्यालय रुपईडीहा, हुकुम सिंह किसान डिग्री कालेज बहराइच, गायत्री महाविद्यालय रिसिया व परमहंस डिग्री कालेज कैसरगंज के छात्रसंघ प्रतिनिधियों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद जनता के हित में हेल्पलाइन शुरू कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा।

ग्रामीणों के लिए कारगर बना सूचना अधिकार अधिनियम

जिला संवाददाता

बहराइच। सूचना अधिकार अधिनियम का महत्व समझ कर अब ग्रामीण भी इसे कारगर हथियार के रूप में अपनाने लगे हैं। जनपद में एक ही गांव के 51 लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में इस अधिनियम के तहत आवेदन करके क्षेत्रीय कोटेदार से संबंधित जानकारी मांगी है। अपनी तरह का यह पहला मामला है।

सूचना अधिकार अधिनियम को जन आंदोलन बनाने में लगी दिल्ली की संस्था परिवर्तन तथा कबीर के साथ मिलकर 'देहात' संस्था ने जनपद कार्यक्षेत्र किया है। इस संस्था ने मिहींपुरवा ब्लाक के वन ग्राम नई बस्ती, निषाद नगर में अभियान चलाकर इस अधिनियम की जानकारी ग्रामीणों को दी। नई बस्ती गांव के 51 लोगों ने कोटेदार से संबंधित जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को दिया। इसमें प्रतिमाह राशन की उठान, डेली सेल रजिस्टर, वितरण रजिस्टर तथा कोटेदार द्वारा जारी कैश मेमो की प्रति मांगी गयी है।

जागरण अभियान में शामिल परिवर्तन संस्था दिल्ली के अरविंद केजरीवाल तथा मनीष सिसौदिया सूचना अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कारगर हथियार है। इसे बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस अभियान में युवाओं व छात्रों को भी सम्मिलित किये जाने पर बल दिया। देहात संस्था के मुख्य कार्यकारी डा. जितेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि जनपद के महाविद्यालयों के छात्रों को इस अभियान में सम्मिलित किया जायेगा।

राष्ट्रीय सहारा

2 लखनऊ, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2006

सूचना के अधिकार को जनान्दोलन बनाने में जुटीं कई संस्थाएं

सहारा न्यूज ब्यूरो

बहराइच, 14 दिसम्बर। जनपद में सूचना अधिकार अभियान को जनान्दोलन बनाने में देहात संस्था जुटी है। इसमें गति देने में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत परिवर्तन नई दिल्ली और कबीर सरीखी संस्थाएं सीधे तौर पर इस अभियान में जुड़ गयी है।

यह जानकारी देते हुए देहात संस्था के मुख्य कार्यकारी डा. जितेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के चित्तौरा विकास खण्ड की ताज खुदाई ग्राम पंचायत एवं मिहींपुरवा विकास खण्ड के वनग्राम नई बस्ती व निषाद नगर में तीन दिवसीय अभियान छेड़कर ग्रामीणों में सूचना अधिकारी की अलख जगाने का कार्य किया गया। ग्राम ताज खुदाई में 22 युवाओं व गिरजापुरी स्थित वन ग्राम अधिकार मंच के 44 युवाओं को सूचना अधिकार के अन्तर्गत अधिनियम के प्राविधानों एवं आवेदन पत्र लिखने की प्रक्रिया का सघन प्रशिक्षण दिया गया।

घूंस को घूंसा अभियान के जनक व परिवर्तन नई दिल्ली के मनीष सिसौदिया सहित मीडियाकर्मियों की दिल्ली से आयी पांच सदस्यीय टीम के साथ-साथ देहात समाजसेवी संगठन के पांच सदस्यीय दल ने इस पूरे अभियान का संचालन किया।

अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय में एक ही गांव-नई बस्ती के 51 निवासियों ने अपने हिस्से के राशन को टटोलने व अपने घर की बुझी हुई ढिबरी का तेल ढूंढने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए एक साथ 51 आवेदन सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किए जो अपने आप में बहराइच जिले में रिकार्ड है। मिहींपुरवा विकास खण्ड इन निवासियों ने प्रत्येक माह में जारी राशन की माहवार उठान, मात्रा मूल्य व दर डेली सेल रजिस्टर, वितरण रजिस्टर के साथ-साथ कोटेदार द्वारा जारी कैशमोमों की प्रतियां भी मांगी है। ग्रामवासियों की इस पहल को लेकर राशन घोटाले के माफियाओं में काफी खलबली है।

अभियान को दिशा दे रहे मनीष सिसौदिया ने कहा कि अब लोकसभा व विधानसभा में सवाल उठाने को किसी सांसद या विधायक को 10,000 देने की जरूरत नहीं बल्कि मात्र 10 रु. खर्च करके सूचना अधिकार का आवेदन करने की जरूरत है। आम जनता द्वारा बहराइच में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आन्दोलन में बढ़ती भागीदारी किये जाने पर वे काफी उत्साहित दिखे।

श्री जितेन्द्र ने बताया कि इसी क्रम में इस आन्दोलन में अब छात्र संगठनों को जोड़े जाने की कवायद भी देहात संस्था के द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसके प्रथम चरण में सीमान्त महाविद्यालय, रुपईडीहा, ठाकुर हुकुम सिंह किसान डिग्री कालेज बहराइच, गायत्री महाविद्यालय रिसिया व परमहंस डिग्री कालेज कैसरगंज के छात्र संघों को जोड़ा जाएगा ताकि छात्र युवा इस क्रान्ति के वाहक बन सकें। देहात द्वारा हेल्प लाइने भी शुरू की गयी है। जिसके नं. 9415054079 व 9919347695 हैं।